तमिलनाडू वक्फ बोर्ड

वी.

लाराबशा दर्गा पनरुति

23 नवम्बर, 2007

(तरूण चटर्जी और पी. सतशिवम, जे. जे.)

वक्फ- की प्रकृति-चाहे निजी हो या सार्वजनिक फकीरों को खाना खिलाने और दरगाह की मजार पर रोशनी करने और फतह करने पर किया गया खर्च-मुथवलिस के परिवार पर आय का एक हिस्सा व्यय-और उत्तराधिकार भी वंशानुगत है इन परिस्थितियों में, यह एक निजी वक्फ है।

1978 में एस.बी. ने यह घोषणा करने के लिए मुकदमा दायर किया कि सूट संपत्ति वक्फ संपत्ति नही है, बल्कि उनकी निजी संपत्ति है। निचली अदालत ने मुकदमा खारिज कर दिया। यह अभिनिर्धारित करते हुए कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है जो दरगाह से संबंधित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इसे बरकरार रखा। दूसरी अपील एस. नं. 1104/1983 के लंबित रहने के दौरान एस. बी. की मुत्यु हो गई। दरगाह और उसकी संपत्तियों में वंशानुगत मुथवल्लियों की नियुक्ति के लिए एक याचिका दायर की गई और वक्फ बोर्ड ने जांच करने के बाद उत्तरदाताओं को वंशानुगत ट्रस्टी होने के उनके अधिकार को मान्यता देते हुए संयुक्त मुथवल्लियों के रूप में नियुक्त किया। उच्च न्यायालय ने दूसरी अपील को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ संपत्ति है और निजी न्यास संपत्ति नही है। इस न्यायालय के समक्ष एसएलपी को भी खारिज कर दिया गया था।

प्रत्यर्थी ने घोषणा का दावा किया कि दरगाह और उसकी सम्पतियाँ निजी वक्फ है न की सार्वजनिक वक्फ। ट्रायल कोर्ट ने दावा ड्रिकी कर दिया। अपील पर, प्रथम

अपीलीय न्यायालय ने माना कि दरगा और उसकी संपत्तिया निजी वक्फ की नही है। अपील पर उच्च न्यायालय ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। इसलिए यह अपील की गई।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया-

01. वक्फ बोर्ड द्वारा बनाया गया प्रारूप, यह उल्लेख करता है कि वक्फ का उद्देश्य फकीरों को खाना खिलाने और लारब्शा की कब्र को रोशन करने और फतेह करने के लिए है। यह आगे दर्शाता है कि सेवाएँ संपत्तियो को अलग किए बिना दी जानी है। आगे यह भी दर्शाता है कि वाद संपत्ति से प्राप्त आय में से उसी का एक हिस्सा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है और शेष परिवार के भरण पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। टिप्पणी के कॉलम-17 में कहा गया है कि मूलतः आर.एस. क्रमांक 24,205 एकड सूखी भूमि 'एन' की है। उनका छठा उत्तराधिकारी ने मकानों और दुकानों वाली यह जमीन अपने एक शिष्य को 1939 मे निपटान (हिब्बा) के माध्यम से दे दी। यह शिष्य ने अपने दादा के पक्ष में समझौता कर लिया। एसबी और एसबी के पति अब जमीनों का आनंद ले रहे है। कोई खाता नहीं बनाया है। प्रत्येक गुरूवार की शाम को केवल फतेहा किया जाता है और कब्र पर प्रतिदिन रोशनी की जाती है। वर्तमान में एस.बी. मुथवल्ली है। कुछ रुपये दरगाह के लिए खर्च किया जाता है और शेष का उपयोग परिवार के रखरखाव के लिए किया जाता है। प्रोफार्मा में दिए गए उपरोक्त विवरण से स्पष्ट पता चलता है मुथवलिस के कार्यालय का उत्तराधिकार वंशानुगत है और आय को पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए खर्च किया जाना चाहिए और एक भाग का उपयोग परिवार के प्रबंधन के लिए भी किया जाता था।

02. चूंकि आय का एक भाग पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के अलावा परिवार के लिए खर्च करना पडता है जो कि एक निजी वक्फ की प्रकृति यानी वक्फ-

अलल-औलाद के अनुरूप है। उक्त दस्तावेज यानी एक्स. ए-22 भी वादी के दावे का समर्थन करता है कि वे निजी वक्फ के वंशानुगत मुथवलिस हैं। इन पहलू पर ट्रायल जज के साथ-साथ उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया है और सही निष्कर्ष निकाला गया है । पहले के मुकदमे में वादी ने मुकदमे की संपत्ति को उनकी निजी संपत्ति के रूप में दावा किया था न कि निजी वक्फसंपत्ति के रूप में और केवल उक्त परिस्थिति उच्च न्यायालय ने 1983 की द्वितीय अपील क्रमांक 1104 मे यह निष्कर्ष निकाला कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है और निजी ट्रस्ट की संपत्ति नही है। इसलिए, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष है कि 1983 के एस.ए. 1104 के निर्णय का इस मुकदमे से कोई संबंध नही है बाद की कार्यवाही सही है। हाई कोर्ट ने भी सही निष्कर्ष निकाला है एक्स ए1 से ऐसा कोई संकेत नही है कि वक्फ एक सार्वजनिक वक्फ है और हिब्बा केवल यह इंगित करता है कि कुछ पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य और प्रोफार्मा एक्स.ए-22 के संबंध में कुछ चीजे की जानी है और एक्स ए-22 वादी के दावे का समर्थन करता है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 1559/2007

मद्रास उच्च न्यायालय के एस.ए. संख्या 641 का 1996 में अंतिम निर्णय दिनांक 25.06.2004 और डिक्री दिनांक 28.06.2004 से।

अपीलकर्ता के लिए जे.एम. खन्ना और ए. साथथ खान।

पी.एस. मिश्रा, के सामिदुरई एन शोबा, श्री राम जे. थलापति और वी. अधिमूलम् प्रतिवादी के लिए।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

पी. सदाशिवम, जे.

01. यह अपील तमिलनाडू वक्फ बोर्ड उसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चेन्नई द्वारा प्रतिनिधित्व की गई है जो कि अंतिम निर्णय दिनांक 25.06.2004 एवं डिक्री दिनांक 28.06.2004 के विरूद्व 1996 की द्वितीय अपील संख्या 641 में मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया गया जिसे उच्च न्यायालय के एक विद्वान न्यायाधीश ने दूसरी अपील की अनुमति दे दी और प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय और डिक्री को उलट कर ट्रायल कोर्ट का निर्णय और डिक्री बहाल रखी।

02. इस अपील के निस्तारण के लिए जो तथ्य आवश्यक है वे निम्नानुसार है:-

मूल रूप वाद संपत्ति वक्फ का हिस्सा होने के कारण वक्फ संपत्ति थी यह संपत्ति किसी नूर मोहम्मदशा औलिया दरगा की है। एक बहादूरशा, नूर मोहम्मद शाह खादरी दरगाह के 5 वें जनिशान, पनरुति ने सूट की संपत्ति अपने शिष्य शबांशा को दी और वह अपने शिष्य लाराब्शा के माध्यम से उस संपत्ति पर काबिज होकर उपयोग कर रहा था। लाराब्शा ने सूट की संपत्ति अपनी पत्नी खतीजा बी को हिब्बा के माध्यम से कुछ पवित्र, धार्मिक और परोपकारी कार्य करने के इरादे से दे दी। खतीजा बी ने मुकदमे की संपत्ति अपने पोते सैयद उमर को दे दी। सैयद उमर की मौत के बाद उनकी पत्नी साफिया बी इसका प्रबंधन संभाल रही थी सूट संपत्ति और उक्त पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ कार्य कर रही थी। 1978 में सफिया बी ने ओ.एस. क्रमांक 189/1978 उपन्यायालय कड्डालोर में दायर किया। यह घोषणा करने के लिए कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति नहीं है यह उनकी निजी संपत्ति है। उक्त मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया गया कि सुट संपत्ति लारब्शा दरगा की वक्फ संपत्ति है। उक्त आदेश के विरूद्ध सफिया बी ने ए.एस. क्रमांक 108/1980 जिला न्यायालय कुड्डालोर में अपील दायर की। जो दिनांक 22.04.1983 को खारिज कर दी गई। उस फैसले और आदेश से दुखी होकर साफिया बी ने उच्च न्यायालय में दूसरी अपील दायर की। जिसके एस.ए. नंबर 1104/1983 थे। इस बीच 08.08.1985 को सफिया बी की मृत्यु हो गई और

अदबरबाशा और अब्दुस्सलाम को मिलीभगत और धोखाधडी से पक्षकार बनाया गया। हीरालाल और खलील बाशा ने याचिका ए. नंबर 20/1985 दायर की ए.सं. तमिलनाडू वक्फ बोर्ड मद्रास के समक्ष उन्हे लारब्शा दरगा और उसकी संपत्तियों में वंशानुगत मुथवल्लिस के रूप मे पहचानें और नियुक्त करें तथा वक्फ बोर्ड ने जांच के बाद प्रतिवादी को उनके अधिकार को मान्यता देते हुए संयुक्त मुथवलिस को लाराब्शा के वंशानुगत ट्रस्टी और कानूनी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया। उच्च ने 10.01.1990 को यह कहते हुए दूसरी अपील खारिज कर दी कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है न कि निजी ट्रस्ट की संपत्ति। उक्त खारिज अपील के विरूद्व एस.एल.पी. सी 1990 का क्रमांक 2486 उत्तरदाताओं/ इस न्यायालय के समक्ष वादी द्वारा दायर किया गया जिसे खारिज कर दिया गया था। यहां उत्तरदाताओ ने ओ.एस. क्रमांक 20/1992 उपन्यायालय कुड्डालोर में दायर किया। घोषणा के लिए कि मुकदमा दरगा और उसकी संपत्ति वक्फ की है यानी वक्फ-अलल-औलाद और वक्फ बोर्ड का कोई अधिकार क्षेत्र नही है कि वह दरगा के लिए मुथवल्लिस को नियुक्त करे और निषेधाज्ञा वक्फबोर्ड पर रोक लगाने के लिए कि वह मुकदमा दरगा और उसकी संपत्ति सिवाय वक्फ की शुद्व आय से अंशदान में दखल नही करें। ट्रायल कोर्ट ने मुकदमे का फैसला यह कहते हुए सुनाया कि मुकदमा दरगा और उसकी संपत्ति निजी वक्फ है। उक्त आदेश से व्यथित होकर, तमिलनाडू वक्फबार्ड ने एक अपील ए.एस. क्रमांक 206/1994 जिला न्यायालय, कुडडालोर में दायर की जिसे यह कहते हुए स्वीकार किया कि मुकदमा दरगा और उसकी संपत्ति निजी वक्फ से संबंधित नही है। उस आदेश के विरुद्व, यहां प्रतिवादी उच्च न्यायालय में एस.ए. संख्या 641/1996 के तहत दूसरी अपील दायर की। उच्च न्यायालय ने प्रथम अपीलीय न्यायालय के फैसले को पलटते हुए दूसरी अपील स्वीकार कर ली और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया। इस तरह वर्तमान अपील

तमिलनाडू वक्फ बोर्ड द्वारा इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका के तहत दायर की गई है।

03. उपस्थित विद्वान वकील श्री जे.एम. खन्ना अपीलकर्ता की ओर से और श्री पी.एस. मिश्रा और श्री के. समीदुरई, विद्वान वरिष्ठ वकील, उत्तरदाताओं की ओर से, सुना गया।

04. श्री जे.एम. खन्ना, अपीलकर्ता-तमिलनाडू के विद्वान वकील वक्फबोर्ड ने मुख्य रूप से पूर्व में लिये गये फैसले को ध्यान में रखते हुए यह दलील दी सफिया बी द्वारा दायर कार्यवाही और दूसरी अपील में अंतिम निर्णय 1983 की संख्या 1104 जिसकी इस न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई, बाद में एक ही मुद्दे/संपत्ति के संबंध में कार्यवाही आगे नहीं बढाई जा सकती जो पूर्व न्यायिक सिद्धांत के साथ और उससे प्रभावित है। दूसरी ओर श्री पी.एस. मिश्रा, उत्तरदाताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील ने पिछली और वर्तमान कार्यवाही में यह निर्णय प्रस्तुत किया गया उसमें दिए गए उत्तर का बाद में उठाए गए मुद्दे से कोई संबंध नही है। उन्होने यह भी तर्क दिया कि एक्स ए.-22 (प्रोफार्मा रिपोर्ट) के मद्देनजर और अन्य सामग्री, उसमे स्थितियाँ/वस्तुएँ वादी ने साबित कर दी थी उनका मामला यह है कि मुकदमे की संपत्ति वक्फ-अलाल-औलाद और मुकदमें की है। अदालत ने मुकदमे का फैसला सही सुनाया, हालांकि निचली अपीलीय अदालत ने गलत फैसला सुनाया यह निष्कर्ष निकाला गया कि यह वक्फ संपत्ति है और उच्च न्यायालय ने अपील स्वीकार की और ट्रायल कोर्ट के फैसले को बहाल किया।

05. उठाए गए विवाद को समझने के लिए इसका संदर्भ लेना प्रासंगिक है। स्वर्गीय लाराब्शा के परिवार की वंशावली का उल्लेख वाद में किया गया है। ओ.एस. 1992 का 20 अधीनस्थ न्यायाधीश, कुड्डालोर की फाइल पर।

लाराब्शा (पति) मृत

कथिजा बी (पत्रि) (मृत)

।

सैयद मगदुम (पुत्र) (मृत)

।

|---|

। साफिया बी

। (मृत्यु 08.08.1985)

। निःसंतान

|-----------------------------|

साईनाथ ही सैयद अली (मृत)

। ।

(पुत्र) खलील बाशा (पुत्र) हीरालाल

(दुसरा वादी) (प्रथम वादी)

उसमें वादी पक्ष ने प्रार्थना की कि लारब्शा धारगा और उनकी संपत्तिया जो वादपत्र में संलग्न अनुसूची में वर्णित है को निजी वक्फ/वक्फ-अलल-औलाद घोषित किया जाये। उन्होने इसकी घोषणा के लिए भी प्रार्थना की हीरालाल और कलीला बाशा (वादी) लाराब्शा के वंशानुगत ट्रस्टी है और स्थाई निषेधाज्ञा के लिए भी प्रार्थना की। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश द्वारा मौखिक और दस्तावेजी दोनों तरह की प्रासंगिक सामग्रियों पर विचार करने के बाद विशेषकर ए1 और ए 2 पर विचार कर प्रार्थना के

अनुसार डिक्री प्रदान की गई वादी के पक्ष में। अपील में, अर्थात, ए.एस. 206 की फाइल पर जिला न्यायालय, कुडडालोर में अपीलीय अपील तमिलनाडू वक्फबोर्ड द्वारा दायर की गई दूसरे में उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए न्यायाधीश ने 1983 की अपील संख्या 1104 (उदा.ए 3) मे वक्फबोर्ड के रुख को स्वीकार किया और निष्कर्ष निकाला कि वाद संपत्ति वक्फ संपत्ति है, निजी वक्फ-अलल-औलाद नही जैसा कि वादी द्वारा दावा किया गया है। उक्त निर्णय को वादी द्वारा ऊपर ले जाया गया 1996 की द्वितीय अपील संख्या 641 के माध्यम से उच्च न्यायालय ने कानून का निम्नलिखित महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार कियाः-

> "क्या निचली अपीलीय अदालत इस दलील पर विचार करने मे विफल रही कि लिखित बयान में इनकार की विशिष्ट दलील नही है कि धारागा कोई निजी वक्फ नही है। उसी के आधार पर दोनों पक्षों की अंत मे बहस सुनी और आक्षेपित निर्णय मे अपील स्वीकार की गई और निचली अदालत की डिक्री को बहाल कर दिया गया। पार्टियो के बीच बाद के विवाद के मद्देनजर प्रथम अपीलों और द्वितीय अपीलों में, हमने पिछली कार्यवाहियों में प्रार्थना की गई राहतों, दोनों पक्षों द्वारा लिया गया स्टैंड और अंतिम द्वितीय अपील संख्या 1983 का 1104 में उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय का सत्यापन किया।"

06. वक्फ अधिनियम,1954 की धारा 3 (एल) वक्फ को इस प्रकार परिभाषित करती हैः-

(एल) ‘‘वक्फ का अर्थ है मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए इस्लाम को मानने वाले किसी व्यक्ति (या किसी अन्य व्यक्ति) द्वारा किसी भी चल या अचल संपत्ति का स्थायी समर्पण धर्मार्थ और इसमें शामिल हैं-

01. एक वक्फ उपयोगकर्ता (लेकिन ऐसा वक्फ केवल इस कारण से वक्फ नही रहेगा कि उपयोगकर्ता ने इस समासि की अवधि के बावजूद इसे समाप्त कर दिया है)

02. अनुदान (मश्रुत-उल-सहित) खिदमत (मुअफीज, खैराती, काजी सेवाएँ, मदद-मश) मुस्लिम कानून द्वारा पवित्र, धार्मिक या धर्मार्थ के रूप में मान्यता प्राप्त किसी भी उद्देश्य के लिए और,

03. वक्फ-अलल-औलाद।

बशर्ते इस्लाम को न मानने वाले व्यक्ति द्वारा समर्पण के मामले में, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु पर, कोई आपत्ति होने पर वक्फ शून्य हो जाएगा इस तरह के समर्पण को उसके एक या अधिक कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा उठाया जाता है।

वादी का दावा है कि वाद संपत्ति निजी वक्फ, वक्फ-अलल-औलाद की है और यह कोई सार्वजनिक वक्फ नही हैं। दूसरी ओर, वक्फबोर्ड का मानना है कि यह सार्वजनिक वक्फ है। जैसा कि पहले कहा गया, उच्च न्यायालय ने एक्स.ए-22 पर बहुत अधिक भरोसा किया जो कि वक्फबोर्ड द्वारा बनाए गया एक प्रोफार्मा है। विद्वान न्यायाधीश ने प्रोफार्मा में बनाए गए सभी विवरण/प्रविष्टियां निकाल ली और उक्त विवरण उच्च न्यायालय के निर्णय मे उपलब्ध हैं और हमने उसका अवलोकन किया। इसमें उल्लेख है कि वक्फ का उद्देश्य फकीरों को खाना खिलाने और लाराब्शा की मजार पर रोशनी करने और फतेह देने के लिए है। यह आगे दर्शाता है कि ये सेवाएँ संपत्तियों को अलग किए बिना प्रस्तुत होनी चाहिए। लाभार्थियो के नाम श्रीमती सफिया बी,सैयद उमर, लारब्शा धारगा की पत्नी के रूप में विख्यात हैं। उत्तराधिकार के नियम कॉलम-9 मे कहा गया है कि टी.डी. वंशानुगत के अनुसार। यह आगे दर्शाता है कि वाद की संपत्ति से प्राप्त आय में से इसका एक हिस्सा पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए है और शेष का उपयोग परिवार के भरण पोषण के लिए किया जाता था। कॉलम-17 का

टिप्पणी मे कहा गया है कि मूल रूप से आर.एस.नं. 24,205 एकड़ सूखी भूमि नूर मोहम्मद दरगाह, पूनरुति की है। एक इनायत शाह छठे उत्तराधिकारी जैनिशिन ने मकान और दुकानों वाली यह जमीन 1939 मे निपटान (हिब्बा) के माध्यम से अपने एक शिष्य शबान्शा को दे दी। यह शानबन्स ने लाराब्शा के पक्ष में एक समझौता किया, जो सफिया बी के पति के दादा है, जो अब भूमि का आनंद ले रहे है। कोई हिसाब-किताब नहीं रखा जाता। प्रत्येक गुरूवार शाम को केवल फतेह किया जाता है और कब्र पर प्रतिदिन रोशनी की जाती है। फिलहाल साफिया बी मुथवल्ली है। कुछ रूपये दरगाह पर खर्च हो जाते हैं ओर शेष परिवार के भरण-पोषण मे खर्च हो जाते है। प्रोफार्मा मे दिए गए उपरोक्त विवरण से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि मुथवलिस के पद का उत्तराधिकार वंशानुगत है और आय को पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए खर्च किया जाना है और एक हिस्से का उपयोग परिवार के प्रबंधन के लिए भी किया जाता है।

07. जैसा कि उच्च न्यायालय ने ठीक कहा है, आय का एक हिस्सा पवित्र, धार्मिक और परिवार के अलावा धर्मार्थ प्रयोजन के लिए खर्च किये जाने से यह एक निजी वक्फ/वक्फ-अलल-औलाद की प्रकृति को संतुष्ट करता है उक्त दस्तावेज यानी एक्स.ए-22 भी वादी के दावे का समर्थन करता है कि वे निजी वक्फ के वंशानुगत मुथवल्ली है। इन पहलुओ पर ट्रायल जज एवं उच्च न्यायालय द्वारा पूरी तरह से विचार किया गया है और सही निष्कर्ष निकाला गया है। दूसरी ओर, जैसा कि उत्तरदाताओं/वादी के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा ठीक बताया गया है कि निचली अपीलीय कोर्ट ने 1983 के एस.ए. नंबर 1104 में फैसले को गलत तरीके से पेश करने पर अपील की अनुमति दे दी। जैसा कि पहले देखा गया, द्वितीय अपील संख्या 1104/1983 में उच्च न्यायालय के पास इस पर विचार करने का कोई अवसर नही था कि यह निजी वक्फ है या एक सार्वजनिक वक्फ, लेकिन दूसरी ओर, पहले के मुकदमे में, वादी ने

मुकदमे की संपत्ति को अपनी निजी संपत्ति के रूप मे दावा किया था न की निजी वक्फ संपत्ति और केवल उक्त परिस्थिति मे उच्च न्यायालय ने 1983 की दूसरी अपील संख्या 1104 में प्रतिपादन किया था कि यह संपत्ति वक्फ संपत्ति है और निजी ट्रस्ट की संपत्ति नहीं है। यद्यपि स्वीकार्य सामग्री की सराहना के रूप में, ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि वाद संपत्ति एक निजी वक्फ है और निजी संपत्ति नही हम उच्च न्यायालय के इस निष्कर्ष से सहमत है कि 1983 के एस.ए. 1104 के फैसले का बाद की कार्यवाहियों से कोई लेना-देना नहीं है। हाई कोर्ट ने भी प्रदर्श ए1 से सही कहा कि ऐसा कोई संकेत नहीं है कि वक्फ एक सार्वजनिक वक्फ है और हिब्बा केवल यह संकेत देते हैं कि कुछ चीजें पवित्र, धार्मिक और धर्मार्थ उद्देश्य के लिए की जानी चाहिए और प्रोफार्मा प्रदर्श ए-22 वादी के दावे का समर्थन करता है। किसी भी कोण से देखें प्राप्त सामग्रियों के प्रकाश में विशेष रूप से अतिरिक्त दस्तावेज एक्स-22, ए23 और ए24 जो एक आवेदन के आधार पर प्राप्त हुए थे जिसका आदेश 20.04.2004 को दिया गया था, हम उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत है ओर इसमे दखलअंदाजी का कोई वैध आधार नहीं पाते हैं।

08. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अपील विफल हो जाती है और खारिज की जाती है। कोई लागत नहीं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रोज़ी कंसारा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।